



2026:AHC:43758

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2979/2026

अंसारुल हक हाशमी और 38 अन्ययाचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: कुंवर राहुल सिंह, कुंवर जितेंद्र बहादुर सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी. (मुख्य स्थायी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुद्वार

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता, जो राज्य पुलिस में उप-निरीक्षक के रूप में कार्यरत थे, इस न्यायालय द्वारा 'घनश्याम तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य' (सिविल मिस. रिट याचिका संख्या 44330/2012) के मामले में दिए गए निर्णय के आलोक में सेवा के 19 वर्ष पूरे होने पर वेतन की एक अतिरिक्त वृद्धि चाहते हैं। इस निर्णय का अनुसरण 'वीरेंद्र कुमार और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 3 अन्य' (रिट-ए संख्या 48601/2015) के निर्णय में किया गया था, जिसके विरुद्ध विशेष अपील (दोषपूर्ण) संख्या 538/2016 को 07.09.2016 को खारिज कर दिया गया था और साथ ही विशेष अनुमति याचिका सीसी 6316/2017 को भी 03.04.2017 को खारिज कर दिया गया था।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि यह कानूनी स्थिति आज की तिथि तक बरकरार है और याचिकाकर्ताओं जैसे कई कर्मचारियों को इसका लाभ प्रदान किया गया है। उन्होंने इस न्यायालय द्वारा 'राधे श्याम यादव व 4 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 6 अन्य' (रिट-ए संख्या 6753/2023) के मामले में पारित हालिया आदेश को भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।

विद्वान स्थायी अधिवक्ता उपरोक्त कानूनी स्थिति का खंडन नहीं कर सके।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि प्रत्येक याचिकाकर्ता को इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अपना व्यक्तिगत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि प्रत्यावेदन दिया जाता है, तो याचिकाकर्ताओं के दावे पर 'घनश्याम तिवारी' (उपरोक्त) के निर्णय के संदर्भ में विचार किया जाएगा और नया प्रत्यावेदन प्राप्त होने के दो सप्ताह की अवधि के भीतर उचित आदेश पारित करके उसका निस्तारण किया जाएगा।

(विकास बुद्धवार, न्यायमूर्ति)

फरवरी 26, 2026

आशु

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।